उत्तराखण्ड शासन

श्रम अनुभाग

संख्याः– /VIII/18–91(श्रम)/2008

देहरादून, दिनांक [illegible] नवम्बर, 2018

## अधिसूचना

### प्रकीर्ण

कारखाना अधिनियम, 1948( अधिनियम संख्या 63 वर्ष 1948) की धारा 66 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) को मा॰ उच्च न्यायालय मद्रास द्वारा रिट याचिका संख्या 4604–06/1999 वसन्ता आर॰ बनाम भारत संघ और अन्य में पारित निर्णय में संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 15 के उल्लंघन में असंवैधानिक घोषित करते हुए अपास्त कर दिया गया है।

चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है, अतएव, अब राज्यपाल, श्रम विभाग की पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या 969/VIII/16–91(श्रम)/2008, दिनांक 14.11.2016 को अधिक्रमित करते हुए, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या S-25025/10/2016-ISH-II, दिनांक 17.02.2016 के अनुक्रम में राज्य के समस्त कारखानों में महिला कर्मकारों को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अध्याधीन रहते हुए रात्रि पाली में सांय 07:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक कार्य करने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

(1) नियोजक तथा अन्य उत्तरदायी व्यक्तियों का यह कर्त्तव्य होगा कि वे कार्य स्थल अथवा संस्थान में ऐसे प्रबन्ध करें कि यौन उत्पीडन के कृत्य अथवा घटना न होने पाये। ऐसी घटना हो जाने की स्थिति में तत्काल विधिक कार्यवाही एवं अभियोजनात्मक कार्यवाही के सभी आवश्यक कदम उठाने की व्यवस्था करें। यौन उत्पीड़न में अवांछनीय यौन सम्बन्धी व्यवहार चाहे प्रत्यक्षतः या विवक्षित तौर पर हो, जैसे कि– शारीरिक सम्पर्क तथा निकटता, यौन स्वीकृति के लिए मांग अथवा अनुरोध, कामासक्त फबियाँ, अश्लील साहित्य दिखाना तथा यौन प्रकृति का कोई अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण सम्मिलित है।

(2) सभी नियोजक तथा कारखाना या कार्यस्थल के प्रभारी व्यक्ति यौन उत्पीड़न को रोकने के लिये निम्नलिखित कदम उठायेंगे:–

(i) नियोजक द्वारा यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए आचरण तथा अनुशासन विषयक नियम या विनियम, बनाये जायेंगे तथा उसमें दुराचरण करने वाले के विरूद्व समुचित दण्ड की व्यवस्था के साथ कारखाने में वर्तमान लागू स्थाई आदेश में आवश्यक प्रावधान किये जायेंगे।

(ii) कारखाने मे कार्य, मनोरंजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं सुरक्षा के लिए उचित कार्य वातावरण की व्यवस्था की जायेगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कार्य स्थल पर महिलाओं के लिए प्रदूषित वातावरण निर्मित नहीं है तथा किसी महिला कर्मचारी के विश्वास के लिए यह पर्याप्त आधार न हो कि उनके लिए नियोजन से संबंधित कोई अलाभकारी स्थिति है।

(iii) नियोजक, कारखाने में शिकायत की सुनवाई की समुचित व्यवस्था प्रणाली सधारित करेंगे तथा ऐसी प्रणाली में समयबद्ध तरीके से शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। एक शिकायत समिति गठित की जायेगी जिसमें विशेष सलाहकार तथा अन्य सहायक सेवाओं की व्यवस्था भी शामिल होगी तथा गोपनीयता बनाए रखी जाएगी।

Sir

(iv) किसी आपराधिक घटना की स्थिति में नियोजक दण्डनीय कानून के प्राविधान के अनुरूप बिना किसी विलम्ब के समुचित कार्यवाही प्रारम्भ करेंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि यौन उत्पीड़न के शिकार व्यक्ति तथा उनके गवाहों का उत्पीड़न न हो तथा यौन उत्पीड़न की शिकायत के दौरान कोई भेदभाव न किया जाय। यदि प्रभावित श्रमिक के अनुरोध पर उन्हें पाली स्थानान्तरण अथवा स्थानान्तरण की आवश्यकता हो तो आवश्यक व्यवस्था करेंगे, नियोजक समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे यदि ऐसा आचरण नियोजन में दुराचरण की परिधि में आता हो।

(v) सभी शिकायत समितियों की मुखिया महिला होगी तथा समिति में महिला सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के आधे से कम न होगी इसके अतिरिक्त उस समिति में अशासकीय संगठन का प्रतिनिधि शामिल होगा अथवा ऐसा व्यक्ति होगा जो यौन उत्पीड़न के मामलों की जानकारी रखता हो।

(vi) महिला कर्मचारियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया जाएगा तथा ऐसे दिशा–निर्देशों को मुख्य रूप से अधिसूचित किया जायेगा।

(vii) जहाँ पर यौन उत्पीड़न की घटना किसी तृतीय पक्ष द्वारा की जाए वहा पर नियोजक अथवा कारखाने के अधिभारित व्यक्ति द्वारा सभी प्रकार के आवश्यक कदम उठाये जाने होंगे तथा प्रभावित व्यक्ति को समुचित सहयोग तथा सहायता घटना की रोकथाम के लिए दी जानी होगी।

(3) नियोजक द्वारा महिलाओं की सुरक्षा व कार्य वातावरण हेतु निम्नलिखित प्रबंध किये जायेंगे:–

(i) रात्रि पाली के दौरान प्रवेश (Entry) तथा निर्गम (Exit) स्थल पर महिला श्रमिकों के लिए सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था हो। कारखाना प्रबंधकों द्वारा कारखानें के अन्दर जहा पर महिला कर्मकार कार्य करेंगी, कारखाने के बाहर तथा प्रत्येक प्रवेश द्वार में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाया जाना अनिवार्य होगा।

(ii) नियोजक महिला श्रमिकों को रात्रि पाली में कार्य स्थल पर लाने व उनके आवास पर वापस ले जाने के लिए पृथक से सुरक्षा गार्ड सहित (जिसमें महिला सुरक्षा गार्ड भी सम्मिलित होगी) परिवहन की व्यवस्था करेगा। उक्त वाहनों में निजी सुरक्षा एजेंसियों से कार्मिकों की नियुक्ति की जायेगी।

(iii) नियोजक न केवल कारखानों के अन्दर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करेंगे बल्कि कारखानों के चारो ओर तथा ऐसी समस्त जगहों पर जहाँ पर महिला श्रमिक रात्रिकालीन पाली के दौरान आवश्यकतानुसार आती–जाती होंगी, पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था मय बैकअप करेंगे।

(iv) रात्रि पाली के दौरान सुपरवाईजर या शिफ्ट इचार्ज या फोरमैन या अन्य सुपरवाइजरी स्टॉफ में महिलाओं की संख्या कुल सख्या के एक तिहाई से कम नही होना चाहिए।

(v) कार्यस्थल पर महिलाओं के छोटे बच्चों की देखभाल आदि हेतु क्रैच (शिशु सदन) की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

(vi) महिला श्रमिकों के लिए पृथक से कैंटीन की सुविधा की व्यवस्था का प्राविधान किया जायेगा। कारखाने द्वारा महिला श्रमिकों के लिए जहा पर भोजन तथा ठहरने की व्यवस्था

की जाए. उसका प्रबन्धन मुख्य रूप से महिला वार्डन अथवा सुपरवाईजर के नियंत्रण मे रहेगा। महिला श्रमिकों के अग्रिम रूप से आगमन के दौरान तथा कार्य के घंटों के बाद बैठने के लिए पर्याप्त संख्या में वर्कशेड, अलग से विश्राम कक्ष, शौचालय एवं लॉकर्स की व्यवस्था की जायेगी।

**(vii)** कारखाने द्वारा समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा जरूरत के समय आवश्यक दूरभाष सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा जिस पाली में 100 से अधिक महिला श्रमिक कार्यरत हैं, उसमें पृथक से एक वाहन रखा जायेगा ताकि तात्कालिक स्थिति में उन्हें चिकित्सालय पहुँचाया जा सके।

(4) नियोजक यह भी देखेंगे कि नियोजित महिला श्रमिकों के एक बैच में 10 से कम संख्या नियोजित न हों तथा रात्रि पाली में कारखानों में कुल नियोजित कर्मकारों में महिला श्रमिकों की संख्या दो तिहाई से कम न हो।

(5) नियोजक प्रत्येक रात्रि पाली में कम से कम दो महिला वार्डन की नियुक्ति करेगा, जो कि कार्य के दौरान परिभ्रमण करने तथा विशेष कल्याण सहायक के रूप में कार्य करेंगी।

(6) जहां पर महिला श्रमिकों को दिन की पाली से रात्रि की पाली में तथा रात्रि की पाली से दिन की पाली में स्थानान्तरित किये जाने का प्राविधान हो, उसमें रात्रि पाली एवं अन्तिम पाली के बीच 12 घंटे निरंतर से कम का विश्राम नही होगा।

(7) कार्य के घंटे के संदर्भ में कारखाना अधिनियम तथा अन्य नियम के प्राविधान के अतिरिक्त, समान पारिश्रमिक भुगतान एवं अन्य श्रम कानूनों का अनुपालन भी नियोजक द्वारा किया जायेगा।

(8) कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त सुविधा के अतिरिक्त महिला श्रमिकों की माहवारी की अवधि में अतिरिक्त अवकाश की सुविधा भी दी जायेगी, जो कि रात्रि पाली के लिए सवैतनिक अवकाश के बराबर होगी।

(9) महिला श्रमिक जो रात्रि पाली तथा नियमित पाली में काम करती हो, की एक मासिक बैठक उनके प्रतिनिधियों तथा प्रमुख नियोजक के साथ होगी, जिसे 08 सप्ताह में एक बार शिकायत दिवस के रूप में आयोजित किया जायेगा। नियोजक यह प्रयत्न करेंगे कि उक्त व्यवस्था का परिपालन हो, नियोजक द्वारा सभी उचित शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था की जायेगी।

(10) किसी महिला कर्मकार से किसी भी कार्य दिवस में 09 घण्टे से अधिक और किसी भी सप्ताह में 48 घण्टे से अधिक कार्य करने की अपेक्षा नही की जायेगी।

(11) यदि कोई महिला कर्मकार प्रातः 05:00 बजे से प्रातः 08:00 बजे तथा सायं 07:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे की अवधि के दौरान कार्य करने से इंकार करें, तो नियोजक उसे केवल इस कारण से नियोजन से नहीं हटायेगा कि उसने उक्त अवधि के दौरान कार्य करने से इंकार कर दिया। दिन के समय में अर्थात रात्रि पाली के अतिरिक्त महिला कार्मिकों/श्रमिकों हेतु कार्य के घंटे तथा कार्य संपादन की प्रक्रिया प्रचलित नियमानुसार यथावत रहेगी।

(12) नियोजक प्रत्येक 15 दिन मे रात्रि पाली में नियोजित कर्मचारियों के विवरण सहित कारखाना निरीक्षक को एक प्रतिवेदन भेजेगा तथा ऐसी किसी आकस्मिक घटना का प्रतिवेदन तत्काल ही कारखाना निरीक्षक तथा स्थानीय पुलिस स्टेशन को भेजेगा।

(13) नियोजक, महिला श्रमिको को आंशिक/पूर्ण रूप से रात्रि पाली में नियोजित करने हेतु स्वतंत्र होगें, जिसमें उपर्युक्त निर्देशों का परिपालन आवश्यक होगा।

2. उपर्युक्त शर्तों के दृढ़ता से अनुपालन के दृष्टिगत श्रम विभाग के अधिकारी/कर्मचारी निरंतर अनुश्रवण करेंगे तथा अनुश्रवण की सामयिक रिपोर्ट संकलित कर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(हरबंस सिंह चुघ)
सचिव।

संख्याः- 1256 (1)/VIII/18-91(श्रम)/2008, तद्दिनांक,

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य निजी सचिव, मा॰ मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञानार्थ।
3. प्रमुख निजी सचिव, मा॰ श्रम मंत्री, को श्रम मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
7. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त अपर/संयुक्त/उप श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।
10. समस्त सहायक श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, एन॰आई॰सी॰, सचिवालय परिसर देहरादून।
12. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी असाधारण गजट में प्रकाशित कराते हुए उसकी 400 प्रतियां शासन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस॰एस॰वल्दिया)
अपर सचिव।